# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 21–2019/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक प्रथम फरवरी, 2019
(12 माघ, 1940 शक)

**विधायी परिशिष्ट**


| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **भाग I** | **अधिनियम** | |
| | कुछ नहीं। | |
| **भाग II** | **अध्यादेश** | |
| | कुछ नहीं। | |
| **भाग III** | **प्रत्यायोजित विधान** | |
| | 1. अधिसूचना संख्या का०आ० 2/के० अ० 66/1984/धा०3/2019, दिनांक प्रथम फरवरी, 2019 – जींद, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर में सात कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने बारे। | 55—56 |
| | 2. अधिसूचना संख्या का०आ० 3/के० अ० 49/2016/धा०84/2019, दिनांक प्रथम फरवरी, 2019 – हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०66/के०अ०49/2016/धा०84/2018, दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 में संशोधन करने बारे। | 57—58 |
| | (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित) | |
| **भाग IV** | **शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन** | |
| | कुछ नहीं। | |

**भाग–III**

**हरियाणा सरकार**

न्याय प्रशासन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक प्रथम फरवरी, 2019

**संख्या का० आ० 2/के० अ० 66/1984/धा० 3/2019.**— कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम 66), की धारा 3 की उप–धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा जींद, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर में सात कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करते हैं तथा उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता तथा शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध जिले के क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हैं।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

**Notification**

The 1st February, 2019

**No. S.O. 2/C.A. 66/1984/S. 3/2019.—** In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Family Courts Act. 1984 (Central Act 66 of 1984), the Governor of Haryana, after consultation with the Punjab and Haryana High Court, hereby establishes seven Family Courts at Jind, Kurukshtra, Panchkula, Panipat, Rewari, Sirsa and Yamuna Nagar and specifies the local limits of the area of the district concerned for the purpose of exercising the jurisdiction and powers conferred by the said Act.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

8545—L.R.—H.G.P., Pkl.